



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-05012026-269117
CG-UP-E-05012026-269117

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2026/पौष 15, 1947

No. 36]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2026/PAUSHA 15, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट)]

शुद्धिपत्र

प्रयागराज, 22 दिसम्बर, 2025

का.आ. 37(अ).-केन्द्रीय सरकार रेलवे (संसोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11वाँ) की धारा 20 ई की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र में विशेष रेल परियोजना “फफूंद - प्रयागराज मंडल में फफूंद स्टेशन पर गुड्स शेड की व्यवस्था, औरैया, उत्तर प्रदेश ” हेतु प्रकाशित अधिसूचना 20ई गजट संख्या 4897, दिनांक 6 नवम्बर 2025 की अधिसूचना - का. आ. 5052 (अ), दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 के हिन्दी संस्करण में ग्राम - लखनापुर की भूमि रकवा 0.0132 हेक्टेयर व कैंजरी की भूमि रकवा 2.7393 हेक्टेयर को धारा- 20ई में प्रकाशित कराया गया है। उक्त अधिसूचना में भूमि रकवा 2.7393 हेक्टेयर ग्राम लखनापुर के स्थान पर ग्राम कैंजरी पढ़ा जाय ।

[ई-फाइल सं. फा. सं. NCR-PRYJ0ENGG (LAND) /9/2023 dated 16.10.2023]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सी/आरएसपी